मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की 24वीं बैठक
दिनांक : 01 सितम्बर, 1992 का कार्यवाही विवरण.

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यकारिणी समिति की 24वीं बैठक दिनांक : 01 सितम्बर, 1992 को पूर्वान्ह 11.00 बजे परिषद् के सभा कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए :

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यमंत्री, : अध्यक्ष
मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.

(2) श्रीमती मृणालिनी गर्दे, प्रमुख सचिव, : सदस्य
मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.

(3) श्री शरद चन्द्र बेहार, प्रमुख सचिव, : सदस्य
मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग.

(4) डॉ0 कमल कुमार, संचालक, : सदस्य
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश.

(5) श्री व्ही0एस0 जमींदार, अपर संचालक उद्योग, : सदस्य
उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश.

(6) डॉ0 देवेन्द्र मिश्र, महानिदेशक, : संयोजक
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.

अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमंत्रित सदस्य :-

(7) डॉ0 ज्ञानेन्द्र प्रसाद तिवारी, परियोजना संचालक,
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.

(8) श्री पी0के0 श्रीवास्तव, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी,
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.

(9) डॉ0 एम0पी0 अग्निहोत्री, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी,
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.

(10) डॉ0 एस0 खान, प्रभारी, सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

...2..

बैठक में हुई चर्चा का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्यसूची क्रमांक (1) : कार्यकारी समिति की 23वीं बैठक के कार्यविवरण का सत्यापन.

समिति ने दिनांक : 15 फरवरी, 1992 को संपन्न हुई कार्यकारी समिति की 23वीं बैठक के कार्यविवरण का अवलोकन किया तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

कार्यसूची क्रमांक (2) : कार्यकारी समिति की 22वीं बैठक में लिये गये निर्णयों प परिषद् द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति ने निम्नानुसार आदे पारित किये :-

:अ:	परिषद् के सेवा भरती नियम :	इस प्रकरण पर चर्चा का विवरण स क्रमांक (20) के अंतर्गत दिया है ।
:ब:	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा परिषद् के निर्मित भवनों के आधिपत्य एवं आवंटन के संबंध में. :	समिति ने निर्णय लिया कि परि के लिए मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित भवनों का आधिपत्य शीघ्र ही लिया जाए ।
:स:	परिषद् का भण्डार सत्यापन :	1. समिति ने निर्णय लिया परिषद् के भण्डारण सत्यापन की रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की । 2. परिषद् में उपलब्ध वैज्ञा उपकरणों की वर्तमान स्थिति के में विस्तृत जानकारी विभाग के म से माननीय राज्यमंत्री को भेजी जा
:द:	परिषद् हेतु भूमि का आधिपत्य :	समिति ने निर्णय लिया कि एक म के अंदर भूमि आधिपत्य के प्र पर एक विस्तृत नोट र राज्यमंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रेषित किया जाए, ताकि वे मंत्री पर इस संबंध में अग्रिम कार्यवाह सकें ।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

अन्य बिन्दुओं पर परिषद् द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति ने अपनी सहमति प्रदान की ।

कार्यसूची क्रमांक 2. : कार्यकारी समिति की 23वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर परिषद् द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण.

:अ:	भारत जनविज्ञान जत्था 1992 :	प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है.
:ब:	उद्यमी विकास प्रकोष्ठ, रायपुर : हेतु वित्तीय सहायता.	इस प्रकरण पर कार्यकारी समिति ने पिछली बैठक में लिये गये अपने निर्णय की पुष्टि की ।
:स:	औषधि एवं सुगंधयुक्त पौधों की : परियोजना.	इस संबंध में सक्षम वैज्ञानिक की नियुक्ति हेतु दो नाम शासन के अनुमोदनार्थ भेजे जा चुके हैं ।
:द:	श्री एन0व्ही0 देशपाण्डे, वरिष्ठ : यांत्रिकी सहायक, संचालनालय नगर तथा ग्रामीण निवेश का परिषद् के सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में वैज्ञानिक के पद पर संविलियन.	1. महानिदेशक ने परिषद् को सूचित किया कि श्री एन0व्ही0 देशपाण्डे के पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है । समिति ने श्री देशपाण्डे के संविलियन हेतु अपनी सहमति प्रदान की । 2. समिति ने श्री देशपाण्डे के अतिरिक्त पूर्व में नियुक्त उच्च स्तरीय छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री व्ही0के0 दुबे, वरिष्ठ लेखापाल एवं श्री एम0के0 तिवारी, वरिष्ठ लेखापाल के परिषद् में संविलियन हेतु अपनी सहमति प्रदान की । समिति ने यह भी आदेश दिया है कि संविलियन के पूर्व यह देख लिया जाय कि उन्होंने वरिष्ठ लेखापाल की अर्हताएँ पूरी कर ली है या नहीं. अगर वाँछनीय अर्हताएँ न पूरी की हो तो एक वर्ष के समयसीमा में अर्हताएँ पूरी करने की शर्त के साथ उनका संविलियन किया जावे.

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

कार्यसूची क्रमांक (3) : रामकृष्ण मिशन, नारायणपुर में विज्ञान उद्यान की स्थापना.

समिति ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की । साथ ही समिति ने महानिदेशक से अनुरोध किया कि इस संबंध में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् से संपर्क स्थापित कर, इस परियोजना को शीघ्र कार्यान्वयन् कराने हेतु प्रयास करें ।

कार्यसूची क्रमांक (4) : रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक केन्द्र.

परिषद् के प्रस्ताव को कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । माननीय राज्यमंत्री महोदय ने आदेश दिये कि वर्तमान में प्रचलित 17 लोकप्रिय विज्ञान केन्द्रों के बारे में निरीक्षण कर एक रिपोर्ट शीघ्र उनकी सूचना के लिए प्रस्तुत की जाए ।

कार्यसूची क्रमांक (5) : स्वायत्त सेवी संस्थाओं के लिये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु नियम.

समिति ने परिषद् द्वारा स्वायत्त सेवी संस्थाओं को सहायता देने संबंधी प्रस्तावित नियमों को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

कार्यसूची क्रमांक (6) : परिषद् में संवेदनशील उच्च तकनीकी संयंत्रों के क्रय बावत्.

कार्यकारी समिति ने परिषद् को तकनीकी संयंत्रों के क्रय की प्रस्तावित प्रक्रिया को अपनाने की अपनी अनुमति प्रदान की ।

कार्यसूची क्रमांक (7) : राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की वर्ष 1992 की वार्षिक बैठक रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव.

1. रविशंकर विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की वर्ष 1992 की वार्षिक बैठक के आयोजन में होने वाले व्यय के लिए रू0 2.00 लांख के अनुदान की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई ।

2. समिति ने यह भी आदेश दिये कि अनुदान प्रदाय करने के पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम में व्यय होने वाली शेष राशि के स्रोत पर जानकारी प्राप्त की जाए ताकि यह विशिष्ट आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके क्योंकि रायपुर विश्वविद्यालय सदैव आर्थिक संकट से ग्रस्त रहता है ।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

कार्यसूची क्रमांक (8) : परिषद् में कार्यरत तकनीकी सहायकों के पुनरीक्षित वेतनमान बावत्.

1. प्रस्तावित एजेण्डा में दिये गए दूसरे वेतनमान को काटने की अनुमति अध्यक्ष से ली गई ।

2. निश्चित् वेतनमान पाने वाले तकनीकी सहायकों को रू0 1400-2340 का वेतनमान परिषद् की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार दिये जाने की अनुमति दी गई ।

कार्यसूची क्रमांक (9) : श्री एम0पी0 तिवारी, फोटो लैब अटैन्डेन्ट के वेतनमान बावत्.

समिति द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक (10) : सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में कार्यरत परियोजना वैज्ञानिकों का नियमितीकरण.

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक (11) : सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र की परियोजनाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के अवसर पर सेवावधि में सेवा अन्तराल (सर्विस ब्रेक) के संबंध में.

चर्चा के उपरान्त समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिये :

1. परियोजनाओं के लिए प्रायोजक विभाग से स्पष्ट प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् तथा वित्तीय स्वीकृति आने में विलंब होने की स्थिति में परियोजना वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर उन्हें उसी परियोजना से संबंधित कार्यों में उपयोग किये जाने की अनुमति प्रदान की गई ।

2. समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस स्थिति में वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय को परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् परियोजना के खाते में ही जोड़ा जाएगा ।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

3. समिति ने यह निर्देश भी दिये कि परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जाते समय परियोजना से संबंधित प्रारंभिक कार्य के लिए तीन-चार माह का समय रखा जावे तथा परियोजना प्रस्ताव में आवश्यक धनराशि का प्रावधान भी रखा जाए ।

4. नई परियोजनाओं के लिए काफी समय पूर्व से अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाए ।

कार्यसूची क्रमांक (12) : सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में कार्यरत वैज्ञानिकों के वेतनमान में एकरूपता.

समिति ने निर्देश दिये कि निशिचत् वेतन पर कार्यरत परियोजना वैज्ञानिकों को रू0 1820-3300 वेतनमान दिया जाए । इसके अतिरिक्त केन्द्र के परियोजना वैज्ञानिकों के वेतनमान व अन्य सुविधाएं यथावत् रहेंगीं ।

कार्यसूची क्रमांक (13) : सूदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में कार्यरत मानचित्रकारों के पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण के संबंध में.

एवं

कार्यसूची क्रमांक (14) : सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में कार्यरत मानचित्रकारों के वेतनमान में एकरूपता.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग ने इस विषय पर समिति के समक्ष अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि, वेतनमानों का पुनरीक्षण एक बहुत अहम् मुद्दा है एवं इस पर निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी व परीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि परिषद् के प्रस्ताव का व्यावहारिक अर्थ वेतन आयोग जैसी अनुशंसाओं को मान्य करना है । जबकि वस्तुस्थिति यह है कि यह पद सीधे शासन के मातहत् नहीं होनें से वेतन आयोग की अनुशंसाएं इन पर स्वतः लागू नहीं होंगीं और न ही उक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस तुलना का मूलभूत मुद्दा हो सकती हैं । ऐसे मामलों में चयन प्रक्रिया, जिम्मेदारी, नियंत्रण का दौर (Span of control) इत्यादि भी अन्य प्रासांगिक मुद्दे हैं । यहाँ यह भी स्पष्ट करना प्रासांगिक है कि पदों की भरती के समय यदि भिन्न वेतनमान स्पष्ट रूप से विज्ञापित है, तब बाद में समतुल्यता का औचित्य नहीं रह जाता ।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा व्यक्त विचारों पर अपनी सहमति प्रकट की ।

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

अतः परिषद् ने इन प्रकरणों पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया कि, इस विषय पर पुनः विस्तृत एवं एकीकृत प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाएंगें ।

कार्यसूची क्रमांक (15) : सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में कार्यरत तकनीकी सहायकों के नियमितीकरण के संबंध में.

परिषद् का प्रस्ताव समिति द्वारा अनुमोदित किया गया ।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विषयसूची क्रमांक (10) में नियुक्त की गई छानबीन समिति इन प्रकरणों की जांच करके परियोजना वैज्ञानिकों हेतु विषय सूची क्रमांक (11) में जो निर्देश दिये गये हैं, उनके आधार पर नियमितीकरण हेतु अनुशंसा करेगी ।

कार्यसूची क्रमांक (16) : सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में परियोजनाओं में कार्यरत मानचित्रकारों के नियमितीकरण बावत्.

मानचित्रकारों के नियमितीकरण हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया को अपनी स्वीकृति देते हुए समिति ने आदेश दिये कि विषयसूची क्रमांक (10) में स्वीकृत की गई छानबीन समिति के समक्ष इस प्रकरण को रखा जाए ।

कार्यसूची क्रमांक (17) : सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में अतिरिक्त पद का सृजन.

समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. समिति ने सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र की सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित केन्द्र की विषयवार संरचना एवं पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की ।

2. इस बैठक में सृजित किये जा रहे नये पदों पर नियुक्त वैज्ञानिकों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय को जिस परियोजना के कार्य में उन्हें लगाया जाएगा, उसी परियोजना की धनराशि से वहन किया जाएगा । समिति ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में इसी प्रकार पूर्व में सृजित पदों पर नियुक्त वैज्ञानिकों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय को भी उनके द्वारा जिस परियोजना का कार्य किया जावेगा, उसी परियोजना की धनराशि से वहन किये जाने का प्रयास किया जाए ।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
...

3. समिति ने यह निर्देश भी दिये कि भविष्य में परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय नियमित वैज्ञानिकों के वेतन एवं अन्य भत्ते तथा सुविधाओं पर होने वाले व्यय हेतु परियोजना प्रस्ताव में आवश्यक वित्तीय प्रावधान रखा जाए ।

कार्यसूची क्रमांक (18) : रायपुर शहर का पुनरीक्षित मास्टर प्लान बनाने हेतु हवाई फोटोचित्रण.

समिति में चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. प्रस्तावित कार्य पर एक परियोजना प्रस्ताव बनाया जाए, जिसे केन्द्रीय शासन के संबंधित विभागों की ओर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिये विचारार्थ प्रेषित किया जाए ।

2. साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य शासन के संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि पर निर्णय लिया जा सके ताकि यदि केन्द्रीय शासन के विभागों से धनराशि उपलब्ध नहीं होती है, तो राज्य शासन के स्त्रोतों से धनराशि उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा सकें ।

3. अन्य विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि के पश्चात् जो अतिरिक्त आवश्यक धनराशि उपलब्ध होना शेष रह जाएगी, उसे परिषद् द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाएगा ।

कार्यसूची क्रमांक (19) : परियोजना में कार्यरत परियोजना वैज्ञानिकों/कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि देने तथा भविष्य निधि योजना लागू करने बाबत्.

समिति ने प्रस्ताव अस्वीकृत किया ।

कार्यसूची क्रमांक (20) : परिषद् के भरती नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम तैयार करने के संबंध में.

परिषद् द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत 'भरती नियम एवं मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1992' की जांच हेतु निम्नलिखित समिति गठित की गई :-

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौ.परि., भोपाल

1. डॉ0 कमल कुमार, संचालक,
   तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश. अथवा उनके प्रतिनिधि.

2. श्री आई0एम0एन0 गोयल, उप सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.

3. डॉ0 जी0पी0 तिवारी, परियोजना संचालक,
   मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.

समिति ने यह निर्णय भी लिया कि प्रतिनियुक्ति एवं परियोजना में आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा-शर्तों पर भी नियम बनाये जाएं ।

कार्यसूची क्रमांक (21) : परिषद् के कर्मचारियों को गृह-निर्माण अथवा क्रय करने के लिये ऋण सुविधा के संबंध में.

समिति ने निर्णय लिया कि इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा साकार योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है । शासन द्वारा यह योजना लागू किये जाने के बाद परिषद् द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए ।

कार्यसूची क्रमांक (22) : रायपुर विश्वविद्यालय के नव स्थापित उद्यमी विकास प्रकोष्ठ को परिषद् द्वारा सहायता.

रायपुर विश्वविद्यालय में 9 स्थापित उद्यमी प्रकोष्ठ के लिए परिषद् द्वारा रू0 1.00 लाख का अनुदान कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

समिति ने सूचित किया कि परिषद् के महानिदेशक डॉ0 देवेन्द्र मिश्र का कार्यकाल समाप्त हो रहा है । अतः अध्यक्ष ने डॉ0 देवेन्द्र मिश्र को समिति की ओर से परिषद् को दी गई उनकी सेवाओं के लिए आभार प्रकट किया ।

अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करने के पश्चात् सभा समाप्त हुई ।

(ज्ञ0प्र0 तिवारी)	(बृजमोहन अग्रवाल)	(मृ0वि0 गर्दे)
कार्यकारी संचालक	उपाध्यक्ष	प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.	मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्यो0-परिषद् एवं राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.	मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
... परि., भोपाल

***

अश्री:81092: